पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 सितम्बर, 2017 ई0 (भाद्रपद 18, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–36

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	763–779	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	437–444	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

16 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 1304 / XXXI(1) / 2017 / पदो0–01 / 17–उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अन्तर्गत सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री प्रवीण चन्द्र खन्तवाल को नियमित चयनोपरान्त मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वेतनमान लेवल–11 (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6600) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रवीण चन्द्र खन्तवाल, मुख्य सुरक्षा अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. श्री खन्तवाल को निर्देशित किया जाता है कि वे सचिवालय प्रशासन विभाग में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

16 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 1305 / XXXI(1) / 2017 / पदो0–01 / 17–उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अन्तर्गत निरीक्षक के पद पर कार्यरत श्री जीवन सिंह बिष्ट को नियमित चयनोपरान्त सुरक्षा अधिकारी, वेतनमान लेवल–10 (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5400) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री जीवन सिंह बिष्ट, सुरक्षा अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. श्री बिष्ट को निर्देशित किया जाता है कि वे सचिवालय प्रशासन विभाग में सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

23 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 1344 / XXXI(1) / 2017–पदो0–02 / 17–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री संतोष बड़ोनी को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव, वेतनमान लेवल–13 (पूर्व वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8700) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री बड़ोनी, संयुक्त सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92 / 2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0) / 2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0बी0) / 2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस0बी0) / 2015 रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0बी0) / 2015 धर्मेंद्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्याः 274 (एस0बी0) / 2015 ललित मोहन आर्य बनाम राज्य एवं अन्य के अतिरिक्त विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है।

4. संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत श्री संतोष बड़ोनी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

23 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 1345 / XXXI(1) / 2017—पदो0—02 / 17—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत अनुसचिव पद पर कार्यरत श्री विजय कुमार को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान लेवल—12 (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600—39,000, ग्रेड वेतन ₹ 7600) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री विजय कुमार, उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92 / 2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0) / 2015 शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0बी0) / 2015 संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस0बी0) / 2015 रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0बी0) / 2015 धर्मेद्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्याः 274 (एस0बी0) / 2015 ललित मोहन आर्य बनाम राज्य एवं अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31 / 2015 में पारित निर्णय दिनांक 08—05—2015 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः 23254 / 2015 हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08—09—2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्याः 5828 (एस / एस) / 2015 डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है।

4. उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले श्री विजय कुमार की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

23 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 1346 / XXXI(1) / 2017—पदो0—02 / 17—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत अनुसचिव पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान लेवल—12 (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600—39,000, ग्रेड वेतन ₹ 7600) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1— श्री देवेन्द्र सिंह नागरकोटी,

2—श्री नन्दन सिंह बिष्ट

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त उप सचिवों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92 / 2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0) / 2015 शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0बी0) / 2015 संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस0बी0) / 2015 रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0बी0) / 2015 धर्मेद्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्याः 274 (एस0बी0) / 2015 ललित मोहन आर्य बनाम राज्य एवं अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31 / 2015 में पारित निर्णय दिनांक 08—05—2015 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः 23254 / 2015 हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08—09—2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्याः 5828 (एस0 / एस0) / 2015 डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है।

4. उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उपरोक्त अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

28 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 1505/VII–2/471/उद्योग/2002–श्री राज्यपाल महोदय, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्यिों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली ,2017

भाग एक– सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह क') सेवा नियमावली, 2017" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2 उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह 'क') सेवा, उद्योग विभाग की एक राज्य सेवा है जिसमें ज्येष्ठ समूह "क" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

3 जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) किसी पद के सम्बन्ध में, "**नियुक्ति प्राधिकारी**" से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "**उप निदेशक श्रेणी अधिकारी**" में उप निदेशक उद्योग व महा प्रबन्धक के अधिकारी सम्मिलित हैं ;

(ग) "**संविधान**" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है ;

(घ) "**निदेशक**" से उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "**सरकार**" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(च) "**राज्यपाल**" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं ;

(छ) "**सेवा का सदस्य**" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) "**सेवा**" से "**उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क")** सेवा अभिप्रेत है ;

(झ) "**मौलिक नियुक्ति**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और, यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी

किये गये कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो ;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग – दो –संवर्ग

सेवा की सदस्य संख्या

4 (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट–"क" में दी गई है:–

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, और

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन –भर्ती

भर्ती का स्रोत

5 सेवा के विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोत से की जायेगी:–

(1) **निदेशक उद्योग**–. मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर निदेशक उद्योग में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, में से "**श्रेष्ठता**" के आधार पर पदोन्नति द्वारा,

(2) **अपर निदेशक, उद्योग** – मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक, उद्योग में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा,

परन्तु यह कि यदि पात्र या उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों, तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक, उद्योग में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

(3) **संयुक्त निदेशक उद्योग**– मौलिक रूप से नियुक्त उप निर्देशक श्रेणी के अधिकारियों, में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ;

परन्तु यह कि यदि पात्र और उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशक श्रेणी के अधिकारियों को, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा पात्रता क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

आरक्षण

6 उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार – भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा

7 नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों एवं आदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

8 (1) निदेशक उद्योग एवं अपर निदेशक उद्योग के पद पर श्रेष्ठता एवं संयुक्त निदेशक उद्योग के पद पर "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जायेगी , जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:–

(क) निदेशक उद्योग एवं अपर निदेशक उद्योग के पद के लिए	
(एक) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन–	अध्यक्ष
(दो) प्रमुख सचिव/सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग –	सदस्य
(तीन) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक विभाग – (चयन की कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जाएगी)	सदस्य
(ख) संयुक्त निदेशक उद्योग के पद के लिए (एक) प्रमुख सचिव/सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग–	सदस्य
(दो) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन कार्मिक या उसका कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो सरकार के अपर सचिव स्तर से निम्न न हो–	सदस्य
(तीन) शासन द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी	सदस्य

(चार) निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड–	सदस्य

टिप्पणी :– ज्येष्ठतम प्रमुख सचिव/सचिव चयन समिति का अध्यक्ष होगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पँजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ , जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पांच नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

9 (1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उस क्रम में जिसमें उनके नाम ,यथास्थिति , नियम 8 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथाअवधारित ज्येष्ठता क्रम में या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।

परिवीक्षा

10 (1) किसी व्यक्ति को सेवा में किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक कि अवधि बढ़ायी न जाये;

परन्तु यह कि परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवाक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की अवधि को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थाईकरण

11 किसी परीवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसके नियुक्ति में स्थायीकरण उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

ज्येष्ठता

12 संवर्ग में नियुक्त सभी पदधारकों की ज्येष्ठता का निर्धारण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा "उत्तराखण्ड सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 2002" अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

भाग छः– वेतन इत्यादि

वेतनमान

13 (1) सेवा के संवर्ग में सम्मिलित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट–"क" में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

14 (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, उसके उस वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि उपनियम (1) और (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों में यदि परिवीक्षा अवधि सन्तोष न प्रदान कर सकने के कारण बढ़ायी जाय तो ऐसी बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू, सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग सात – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 15 किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 16 ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामन्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों के द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 17 यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृति 18 इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतन बैंड (रूपये में)	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थाई	कुल
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक	131100-216600	01	-	01
2	अपर निदेशक	118500-214100	02	-	02
3	संयुक्त निदेशक	78800-209200	02	-	02

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of **'the Constitution of India'**, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of the **Notification No. 1505/VII-2/471/Industry/2002,** Dehradun, dated August 28, 2017 for general information:

NOTIFICATION

No. 1505/VII-2/471/Industry/2002--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of **"the Constitution of India"** and in supperssion of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased, to make the following rules, regulating recruitment and the condition of Service of persons appointed to the service of the Uttarakhand Industry (Senior category "A") services;--

The Uttarakhand Industry (Senior Category 'A') Service Rules, 2017

PART I-GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Industry (Senior Category 'A') Service Rules, 2017.

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service

2. The service of Uttarakhand Industry (Senior Category 'A') service which comprises Group 'A' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-

(a) **'Appointing Authority'** means the Governor of Uttarakhand;

(b) **'Deputy Director level officer'** means such included officers of the Deputy Director, Industry and General Manager;

(c) **'Constitution'** means **'the Constitution of India'**;

(d) **Director'** means Director of Industry Uttarakhand Government;

(e) **'Government'** means the State Government of Uttarakhand;

(f) **'Governor'** means the Governor of Uttarakhand;

(g) **'Member of the Service'** means a person substantively appointed under these rules or orders enforce prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) **'Service'** means the Uttarakhand Industry (Senior category 'A') Service;

(i) **'Substantive appointment'** means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rule and, if there were no rules, in

accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government;

(j) **'Year of recruitment'** means a period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year.

PART II-CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the Service of officers and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service of officers and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) as given in **Appendix-"A"**;

Provided that-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to the compensation;

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III-RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in service shall be made from the following sources:-

sl.	Name of designation	source of recruitment
(a)	**Director, Industry**	By promotion basis of merit amongst substantively appointed such Additional Director, Industry who have completed minimum one year service and completed total 03 years service of the posts on the first day of the year of recruitment.
(b)	**Additional Director, Industry**	By promotion basis of merit amongst substantively appointed such Joint Director, Industry who have completed minimum one year service and completed total 04 years service of the posts on the first day of the year of recruitment, Provided that if eligible candidate or appropriate person is not available for promotion than the eligibility area may be extended for such Joint Director, Industry who has completed total 02 years service as such on the first day of the year of recruitment.

(c)	Joint Director Industry	By promotion basis of seniority, rejection of unfit amongst substantively appointed such Deputy Director level who have completed minimum one year service and completed total 10 years service of the posts on the first day of the year of recruitment through Selection Committee, Provided that if eligible candidate or appropriate person is not available for promotion than the eligibility area may be extended for such substantively appointed Deputy Director, Industry who has completed total 06 years service as such on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes and other category to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART -IV- PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

7. The Appointment Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Other Categories belonging to the State of Uttarakhand under rule 6 and also intimate to the Commission.

Procedure for recruitment by promotion

8. (1) Recruitment by promotion to the post of the Director Industry and Additional Director Industry shall be made on merit and on the post of Joint Director shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a Selection Committee which comprises as follows, namely :-

(A) for the post of Director Industry and Additional Director Industry-

1- Chief Secretary, Government of Uttarakhand; - Chairman

2- Principal Secretary/Secretary Micro, Small and Medium Industry Department; - Member

3- Principal Secretary/Secretary Personnel Department, Government of Uttarakhand; - Member

(the selection proceeding shall by the Personnel Department)

(B) for the post of Joint Director, Industry-

1- Principal Secretary/Secretary Small and Medium Industry Department; Member

	2- Principal Secretary/Secretary Personnel Department, Government of Uttarakhand or his nominee who is not below the rank of Additional Secretary ;	Member
	3- A officer of Scheduled Caste / Tribes nominated by Government of Uttarakhand,	Member
	4- Director, Industry Uttarakhand Government.	Member

Note- The Chairman shall be Senior Principal Secretary/ Secretary of Selection Committee.

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates lieu of seniority and place it before the Selection Committee along with their character roles and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider regarding the candidate matters on the basis of their records refers to in sub-rule (2).

(4) The Selection Committee shall prepare lists of selected candidates, arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

PART-V- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

9. (1) The appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules, 8.

(2) If more them one orders of appointment are issued in respect of any one selection. a combined–order shall also be issued, mentioning the names of the persons, in order of seniority, as determined, in the selection, or as the case may be, as it stood, in the cadre, from which they are promoted.

Probation

10. (1) A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted;

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond in no circumstances beyond one year.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his Services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose Services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous Service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

11. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation of the extended period of probation with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

Seniority

12. The seniority of persons in the post shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

PART-VI- PAY ETC.

Pay Scales

13. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of pay at the time of the Commencement of these rules are given in **Appendix-A.**

Pay During Probation

14. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary a person on probation if he is not already in permanent government service shall be allowed his first increment in the time-scale, when he has completed one year of satisfactory service including period of training and has passed the Departmental examination; and second increment, after two years satisfactory service, where he has completed the probationary period and is also confirmed.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post, under the Government, shall be regulate, by the relevant Fundamental Rules;

Provided that, if under sub- rule (1) and (2) the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay, during probation of a person who is already in permanent government service shall be regulated by the relevant rules applicable to government service generally governing in connection with the affairs to the state.

PART-VII- OTHER PROVISIONS

Canvassing **15.** No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the Post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters **16.** In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service **17.** Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax than requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving **18.** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required for the candidates belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix- 'A'

Sr. no.	Name of posts	Pay scale (in Rs.)	Number of posts		
			permanent	temporary	total posts
1	Director	131100-216600	01	-	01
2	Additional Director	118500-214100	02	-	02
3	Joint Director	78800-209200	02	-	02

By Order,

MANISHA PANWAR,

Principal Secretary.

पंचायतीराज अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

29 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 1415/XII(1)/2017–92(05)2007–उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007, उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2016 एवं जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत जिला योजना समिति जनपद देहरादून में निम्नलिखित को सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है:–

1. श्री सूरत सिंह, ग्राम भोजावाल, विकास खण्ड विकासनगर, देहरादून।
2. श्रीमती संध्या थापा, ग्राम जोहड़ी, कुटालवाली, सिनौला, विकास खण्ड सहसपुर, जनपद देहरादून।
3. श्री किशन सिंह नेगी पुत्र श्री जय सिंह नेगी, ग्राम स्थल, पो0 मालदेवता, विकास खण्ड रायपुर, जिला देहरादून।
4. श्री मठोर सिंह चौहान पुत्र श्री भाव सिंह, ग्राम संवाई, पो0 मरलऊ, विकास खण्ड कालसी, जनपद देहरादून।
5. श्री यशपाल सिंह नेगी पुत्र श्री इन्दर सिंह नेगी, ग्राम व पो0 जारावाला, विकास खण्ड सहसपुर, जनपद देहरादून।
6. श्रीमती अनीता राणा, छिद्दरवाला श्यामपुर, विकास खण्ड डोईवाला, जनपद देहरादून।

2–यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कार्यालय ज्ञाप

29 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 1416/XII(1)/2017–92(05)2007 TC-I–उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007, उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2016 एवं जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत जिला योजना समिति जनपद चमोली में निम्नलिखित को सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है:–

1. श्रीमती मीना फर्स्वाण, सदस्य, जिला पंचायत, वार्ड बुंगा, थराली, जनपद चमोली।
2. श्रीमती धन्ना देवी, सदस्य, जिला पंचायत, वार्ड अन्द्रपा, जनपद चमोली।

2–यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कार्यालय ज्ञाप

29 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 1417/XII(1)/2017–92(05)2007 TC-I–उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007, उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2016 एवं जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत जिला योजना समिति जनपद उत्तरकाशी में निम्नलिखित को सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है:–

1. श्री रविन्द्र सिंह भण्डारी, ग्राम व पोस्ट कल्याणी, जनपद उत्तरकाशी।
2. श्री अरविन्द नेगी, ग्राम लाटा, पो0 लाटा, तहसील भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी।

2–यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

हरि चन्द्र सेमवाल,
अपर सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

08 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 2146 / X–1–2017–14(09) / 2014–श्री राजेन्द्र कुमार (भा0व0से0), प्रमुख वन संरक्षण (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून, जिनकी जन्मतिथि 20–01–1958 (बीस जनवरी सन् उन्नीस सौ अठ्ावन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31–01–2018 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट / 485–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 सितम्बर, 2017 ई0 (भाद्रपद 18, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

August 11, 2017

No. 195/UHC/XIV-35/Admin.A/2008--Sri Ramesh Singh, 1st Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 14 days *w.e.f.* 28.06.2017 to 11.07.2017

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

August 11, 2017

No. 196/UHC/Stationery--The High Court will remain closed on 14.08.2017 (Monday) on account of Janmashtami and will remain open on 07.10.2017 (Saturday) in place of 14.08.2017 (Monday).

By Order of Hon'ble the Court,

Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL,

Registrar (Infrastructure).

NOTIFICATION

August 13, 2017

No. 197/UHC/Stationery--The Subordinate Courts will remain closed on 14.08.2017 (Monday) on account of Janmashtami.

By Order of Hon'ble the Court,

Sd/-

NARENDRA DUTT,
Registrar General.

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

August 24, 2017

No. 819/III-A-13/2017/SLSA--Sri Hemant Singh, Secretary, District Legal Services Authority, Uttarkashi is hereby sanctioned paternity leave of 15 days *w.e.f.* 22.07.2017 to 05.08.2017 with permission to suffix 06.08.2017 as Sunday holiday and 07.08.2017 as Raksha Bandhan holiday in terms of G.O. No. 819/XXVII(7)/34/2010-11, dated 31.12.2013 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

August 24, 2017

No. 820/III-A-07/2017/SLSA--Sri Rajeev Dhawan, Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned earned leave for a period of 06 days *w.e.f.* 31.07.2017 to 05.08.2017 with permission to prefix 30.07.2017 as Sunday holiday and suffix 06.08.2017 as Sunday holiday and 07.08.2017 Raksha Bandhan holiday.

By Order of Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,
Member Secretary.

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

16 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांकः 2423/राज्य कर उत्तरा0/फार्म–अनु0/2017–18/केन्द्रीय फार्म–सी/एफ/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली–2006 के नियम–8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म "सी" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ।

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री फोनिक्स उद्योग प्रा0लि0 गदरपुर, रूद्रपुर। टिन–05008169947	(Form-C)–01	U.K.VAT-C 2012 0177943	खोने के कारण

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

August 16, 2017

No. 2423/State Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2017-18/D.Dun--WHEREAS, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed "Form--C" enlisted below.

I, Commissioner Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules, 2006, hereby declare that "Form--C" bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes.

Sl. No.	Name, Address and Tin No. of Dealers	No. of Lost/Stolen/ Destroyed Forms	Sl. No. of Lost/ Stolen or Destroyed Forms	Reasons for declaring the forms obsolete or invalid
1.	M/s. Phoenix Udyog Pvt. Ltd. Gadarpur, Rudrapur. Tin--05008169947	(Form--C)--01	U.K.VAT C--2012 0177943	Lost

SRIDHARBABU ADDANKI,
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

19 अगस्त, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/ रुड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 2490/रा0कर आयु0 उत्तरा0/मुख्यालय/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 के पत्र संख्या 600/2017/9(120)/XXVII(8)/2012, दिनांक 18 अगस्त, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाले प्रथम तिमाही की साविधिक विवरणी 20 अगस्त, 2017 तक बिना विलम्ब शुल्क दाखिल किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गयी है।

उपरोक्त अधिसूचना आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधिनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

18 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 600/2017/19(120)/XXVII(8)/2012–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम–11 में किसी बात के होते हुए, कर के लिए दायी ब्यौहारी अथवा स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित 30 जून को समाप्त होने वाले प्रथम त्रैमास की सावधिक विवरणी, 20 अगस्त, 2017 तक बिना विलम्ब शुल्क के दाखिल की जा सकती है, किन्तु कर/समाधान राशि अथवा टी0डी0एस0 का भुगतान नियम–11 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ही किया जायेगा।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of the **Notification No. 600/2017/19(120)/XXVII(8)/2012,** Dehradun, dated August 18, 2017 for general information:

NOTIFICATION

August 18, 2017

No. 600/2017/19(120)/XXVII(8)/2012–WHERE as the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 and section 35 of the Uttarakhand Value Added Tax, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21, of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), notwithstanding anything contained in rule 11 of the Uttarakhand VAT Rule, 2005, the Governor is pleased to order that the first periodical return for the quarter ending June, 30 related to the assessment year 2017-18 may be filed by a dealer liable to tax or a person responsible for deduction tax at source upto 20 August, 2017 without any late fee, provided that the payment of tax/composition money or TDS shall be made within the time as prescribed in rule 11.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

विज्ञप्ति

24 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 1165/ख–क्रय अनुभाग/ग0आ0/2017–18–उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 12(2) के अन्तर्गत चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता का अनुमान निर्धारित किये जाने का प्राविधान है। उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 717/सी/ख–क्रय अनुभाग/ग0आ0/2017–18 दिनांक 28 जून, 2017 के क्रम में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों क्रमशः सितारगंज, बाजपुर व नादेही तथा सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों क्रमशः किच्छा व डोईवाला एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलें क्रमशः लिब्बरहेडी, इकबालपुर व लक्सर द्वारा पेराई सत्र 2017–18 हेतु गन्ना आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये। पेराई सत्र 2017–18 हेतु राज्य में स्थित चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता का अनुमान निर्धारित किये जाने हेतु आदेश संख्या 841/सी/ख–क्रय अनुभाग/ग0आ0/2017–18 दिनांक 13 जुलाई, 2017 द्वारा श्री चन्द्र सिंह इमलाल, संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त गठित समिति द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2017 को प्रस्तुत की गई आख्या में चीनी मिल की पंजीकृत पेराई क्षमता एवं चीनी मिल के न्यूनतम कार्य दिवस 140 को आधार मानते हुए गन्ना आवश्यकता का निर्धारण किये जाने की संस्तुति की है।

पेराई सत्र 2016–17 में राज्य में कुल गन्ना उत्पादन 513.51 लाख कुन्तल के सापेक्ष राज्य की चीनी मिलों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का 286.78 लाख कु0 गन्ना क्रय किया गया है, इस प्रकार औसत ड्रॉल लगभग 56 प्रतिशत रहा है। प्रायः यह भी अनुभव किया जाता रहा है कि जिस पेराई सत्र में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है, फलस्वरूप आगामी पेराई सत्र में कृषकों की गन्ने की खेती के प्रति रूचि कम हो जाती है तथा गन्ने का व्यावर्तन भी होता है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव चीनी मिलों को आगामी सत्र में होने वाली गन्ना पेराई पर पड़ता है, जिस कारण चीनी मिलों को चीनी मिल की आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की आपूर्ति नहीं हो पाती है। पेराई सत्र 2016–17 में राज्य की चीनी मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ने का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य दर के अनुसार देय गन्ना मूल्य अंकन ₹ 108011.64 लाख के सापेक्ष अध्यावधिक अंकन ₹ 87679,78 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है तथा अंकन ₹ 20331.86 लाख गन्ना मूल्य वर्तमान में भी अवशेष है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या 1367/XIV–2/2012, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 द्वारा उत्तम शुगर मिल्स लि0 लिब्बरहेड़ी की पेराई क्षमता 6250 टी0सी0डी0 शासन के पत्र संख्या 1485/XIV–2/2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 द्वारा लक्ष्मी शुगर मिल्स कं0 लि0, इकबालपुर (परिवर्तित नाम धनश्री एग्रो प्रोडक्ट्स लि0 इकबालपुर) की पेराई क्षमता 5500 टी0सी0डी0 एवं शासन के पत्र संख्या 1371/XIV–2/2012, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 द्वारा आर0बी0एन0एस0 शुगर मिल्स लि0, लक्सर की पेराई क्षमता 10000 टी0सी0डी0 मानी गई है।

उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों एवं तद्विषयक गठित समिति की आख्या दिनांक 20 जुलाई, 2017 के अनुसार विगत तीन पेराई सत्रों के चीनी मिलों के शुद्ध कार्य दिवसों के अनुसार जनपद हरिद्वार स्थित निजी क्षेत्र की चीनी मिल मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0 लिब्बरहेडी द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों के सर्वाधिक औसत 139.08 कार्य दिवस हेतु पेराई सत्र का संचालन किया गया है तथा समिति द्वारा न्यूनतम 140 दिवस का पेराई सत्र मानते हुए चीनी मिल की पंजीकृत पेराई क्षमता के आधार पर पेराई सत्र 2017–18 हेतु गन्ना आवश्यकता निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 12(2) के अन्तर्गत, मैं, डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित चीनी मिलों की पेराई सत्र 2017–18 हेतु गन्ने की आवश्यकता का अनुमान निम्न विवरणानुसार निर्धारित करते हुए उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा देता हूँ :–

पेराई सत्र 2017–18 हेतु उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता

क्र0सं0	नाम चीनी मिल	जनपद	पंजीकृत पेराई क्षमता (टी0सी0डी0)	गन्ना आवश्यकता (लाख कु0)
1	2	3	4	5
1.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सितारगंज	ऊधमसिंह नगर	2500	35.00
2.	दि बाजपुर को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर	ऊधमसिंह नगर	4000	56.00
3.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, नादेही	ऊधमसिंह नगर	2000	28.00
4.	किच्छा शुगर कम्पनी, लि0 किच्छा	ऊधमसिंह नगर	4000	56.00
5.	डोईवाला शुगर कम्पनी लि0, डोईवाला	देहरादून	2500	35.00
6.	मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0, लिब्बरहेड़ी	हरिद्वार	6250	87.50
7.	मैसर्स धनश्री एग्रो प्रोडक्ट्स लि0, इकबालपुर	हरिद्वार	5500	77.00
8.	मैसर्स आर0बी0एन0एस0 शुगर मिल्स लि0, लक्सर	हरिद्वार	10000	140.00

उपरोक्त निर्धारित गन्ना आवश्यकता से अधिक पेराई किये जाने की स्थिति में तद्नुसार संज्ञान लिया जायेगा।

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,
गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यभार प्रमाण–पत्र

10 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 116/PST/Admin. IV/2017/D.Dun–प्रमाणित किया जाता है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना संख्या 192/UHC/Admin.A/2017, दिनांक 03–08–2017 तथा उत्तराखण्ड शासन के न्याय अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 262/XXXVI(1)/2017-18/2001 T.C.-1 दिनांकित 03–08–2017 के अनुपालन में मेरे द्वारा निबन्धक, लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार आज दिनांक 10–08–2017 की पूर्वान्ह में छोड़ दिया गया।

Countersigned with the remark that Certificate was submitted in the afternoon at 3:15 P.M. whereas, he has already been relieved in the forenoon (by a separate order) due to his refusal to sign the charge handing/taking over Certificate, submitted by the new Registrar in the forenoon at 11:55 A.M.

सी0पी बिजलवान,
एच0जे0एस0,
अवमुक्त अधिकारी।

प्रतिहस्ताक्षर
ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण,
देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

31 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 3229/पंजीयन निरस्त/2017–18–वाहन संख्या UA05-3106 (HGV) मॉडल 2004 चैसिस 373141AVZ100431 इंजन नं0 697TC48AVZ100242 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री जय सिंह पुत्र श्री जमना प्रसाद, मकान नं0 81, घसियारा मण्डी, वार्ड नं0 6, टनकपुर, चम्पावत के नाम दर्ज है। दिनांक 11–07–2017 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31–07–2017 को वाहन संख्या UA05-3106 (HGV) मॉडल 2004 चैसिस 373141AVZ100431 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

16 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 502/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2016–श्री मुकेश लाल पुत्र श्री शिशुपाल लाल, ग्राम डांगी, पो0 पठालीधार जिला रूद्रप्रयाग का सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 20–05–2017 को इनके द्वारा संचालित की जा रही वाहन संख्या यू0के0 13 सी0ए0–0441 का ओवर लोडिंग के अभियोग में चालान कर इनके लाइसेन्स संख्या यू0के0–1320040005393 जो इस कार्यालय द्वारा LMV (NT), LMV (T), PSVBUS (TR), TRANS(TR) व पहाड़ी मार्गों हेतु जारी किया गया है व जिसकी वैधता क्रमशः 22–12–2024 (अव्यवसायिक) व दिनांक 12–03–2020 (व्यवसायिक) तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके लाइसेन्स संख्या यू0के0–1320040005393 (वैधता उपरोक्त) को दिनांक 16–08–2017 से 15–11–2017 तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

पंकज श्रीवास्तव,

प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

29 जुलाई, 2017 ई0

16 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 4092/टी0आर0/पंजी0नि0/UA06G-9015/2017–वाहन संख्या UA06G-9015(D/VAN) मॉडल 2007 चेसिस संख्या 374463BSZ907441 तथा इंजन नं0 497SP28BSZ813358 कार्यालय में श्री लक्ष्मण सिंह सैनी पुत्र श्री हीरा लाल सैनी, निवासी वार्ड नं0 2, सरस्वती नगर, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 08–08–2017 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–12–2017 तक जमा है। वाहन परमिट से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06G-9015(D/VAN) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 374463BSZ907441 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट/485–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।